मु.नं.–19 / 2021 GCMS ID-2021/22 ता.रजु–16.02.2021

2

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सुभाष चंद पुत्र श्री भगवान सहाय जाति हरिजन, निवासी चूडिया दरवाजा, हिण्डौन सिटी, जिला करौली मो. नं. 9784791334 – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 01.03.21, 24.03.21, 30.03.21, 31.03.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर सुभाषचंद पुत्र भगवानसहाय सफाई कर्मचारी को दिनांक 01.03.2017 से माह 11 / 2020 तक किये गये भुगतान की मासिक राशि व बिल की प्रति, सफाई हेतु लगाये गये किसी अन्य कार्मिक (यदि लगाया गया हो तो) को किये गये भुगतान का विवरण, दिनांक 02.04.2019 व 20.04.2019 को दिये गये प्रार्थना पत्रों की प्रति, सुभाषचंद को सफाई कार्य से हटाने के लिये दिये गये आदेश(यदि जारी किया गया हो), की प्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–न्याय / 2021 / 5682 दिनांक 16.03.2021 से अवगत करवाया है कि उनके पत्रांक–5147 दिनांक 12.01.2021 द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। अंत में अपील को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी द्वारा अपीलाथी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है जिससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्च से संतुष्ट है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली